13.8.18

वकुलाय उपस्थित।
उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स .की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में कपूरा, संग्रामा, मनरूपा पि0 चतराजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसमें प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हक हिस्सा निहित था। कपूरा फौत होने पर उनके वारिशान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 का नाम कपूरा के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया तथा सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से हिस्सा–कशी करते हुए कपूरा के वारिशान के नाम 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया, जबकि विवादित आराजी में उनका 1/3 हिस्सा आंता था। उक्त गलत रूप से इन्द्राजित हिस्से के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा पेश किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात पत्रावली वादीगण की शहादत में नियत थी। इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत करते हुए प्रकरण में सीधे तौर

राजस्व अपील प्राधिकारी
झालावाड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर अन्तिम डिक्रीं पारित की, जो विधि विरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार से समझौता नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। इसी अनुरूप विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित की है। इसके बावजूद भी यदि प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है, तो रेस्पोडेन्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील निर्णय होने से पूर्व पत्रावली वादी/रेस्पोडेन्ट की शहादत में नियत थी एवं राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण लोक अदालत में रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अब विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या पक्षक़ारान् में सहमति/राजीनामा हुए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से गुणावगुण पर प्रकरण का निर्णय किया जाना उचित है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties. Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 में यह प्रावधित किया गया है कि "न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा – उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में इस प्रक्रिया की भी पालना नहीं की है। तद्नुसार इन नियमों एवं सिद्धान्तों की रोशनी में जैर अपील निर्णय को कायम रखा जाना भी न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2011 ढेलीदेवी वगैरा बनाम सीतादेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर